

these things. Otherwise, for exercising that right to strike, which is guaranteed not only in this country but the world over, these men would not be kept out of service.

There was another instance of a similar nature. In 1960 there was a strike which was also declared illegal by an ordinance. It was not a one-day strike, it was a general strike. When it was brought to the notice of the then Prime Minister, Pandit Nehru, that the right to strike is a legitimate right of the workers and he could not penalise them for exercising it, he told the departments that there should not be any victimisation, and within a minute there was a clean slate.

MR. SPEAKER : He may continue on the next occasion.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : He may also start and continue next time if you agree.

MR. SPEAKER : No question of continuing next time. It may be over in 10, 15 minutes.

18.22 hrs.

DISCUSSION RE; NON-IMPLEMENTATION OF ASSURANCES GIVEN DURING DEBATE ON DELHI PREMISES (REQUISITION AND EVICTION) AMENDMENT BILL

MR. SPEAKER : We will now take the discussion under Rule 193. Shri Sambhali.

श्री इस्हाक साहबली (अमरोहा) : स्पीकर साहब, मुझे बड़े दुःख के साथ आज यह डिस्कशन आपके सामने शुरू करना पड़ रहा है। हमारे पालियामेंटरी सिस्टम में कुछ ट्रेडिंशंस हैं कुछ असयियवें हैं जिनको कि हम निभाते हैं। पालियामेंटरी सिस्टम में एक बहुत महम चीज नवर्नमेंट के ऐश्वोरेंसेज होते हैं जो कि हाउस में दिये जाते हैं। मुझे अफसोस है कि गाडगिल ऐश्वोरेंस के बारे में शायद न जाने कितनी बर्तबा इस हाउस में अर्चा हुई और न जाने कितनी बर्तबा इसके बारे में रिप्रेजेंटेशंस प्राये लेकिन हमारी सरकार ने न जाने गाडगिल ऐश्वोरेंस को कितनी बेमानी चीज समझ ली कि जिस पर कोई गौर नहीं किया गया।

स्पीकर साहब, मैं अजं करना चाहता हूँ कि यह गाडगिल ऐश्वोरेंस क्या था ? 29

सितम्बर 1951 को हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री एन० वी० गाडगिल ने यहां एक ऐश्वोरेंस दिया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जो इन्स्टीट्यूट पर्सन्स इंडिया की तकसीम के बाब यहां पर प्राये हैं और उन्होंने जो कुछ कन्ट्रक्शन कर लिया है और वह जहां कहीं बँठ गये हैं तो उनको नहीं उजाड़ा जायगा उनको नहीं हटाया जायगा। उनके अलफाज यह हैं :

"... any building or part of a building on such land before the 15th August, 1950, such persons shall not be evicted."

यह उन्होंने अपने भाषण में कहा है। गाडगिल ऐश्वोरेंस विलकुल साफ है। प्राये चल कर जो चीजें कही गयी हैं उनमें भी यह बतलाया गया है कि अगर कोई प्लान हो और उसकी वजह से उनको हटाना तो यह बात बहुत साफ तौर पर कही गयी है और मैं चाहता हूँ कि जरा आप उस पर गौर करें :

"Where eviction is necessary, alternative accommodation should be provided on developed land and as far as practicable near the place of business/employment of the displaced person."

इक्विवेशन अगर कहीं निहायत ही जरूरी हो तो यह शर्त बतलाई गई है। गाडगिल ऐश्वोरेंस आने के बाद यहां के रंप्यूजीज ने जो लुट पीट कर प्राये थे उन्होंने एक इतमीनान का सांस लिया और उनको यह उम्मीद हुई कि अब यहां पर हम अपनी जगह पर बस सकेंगे, अपनी जगह पर रह सकेंगे लेकिन मालूम नहीं कि हमारी सरकार की क्या मेहरबानी थी कि गाडगिल साहब के ऐश्वोरेंस को भुला दिया गया। जो मास्टर प्लान बनाने के लिए प्रपोजस्त कये हमारे चीफ कमिश्नर साहब ने जिनका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो उस वक्त यहां चीफ कमिश्नर थे, बहुतपुराने सीनियर आई० सी० एस० थे, मैं तो समझता हूँ कि वह बहुत ही टिपिकल आई० सी० एस० अफसर थे, उन्होंने उस ऐश्वोरेंस की मास्टर प्लान बनाने वालों

[श्री इसहाक स म्मली]

पास भेजा तक नहीं जिससे कि यह मालूम हो सके कि हमारी सरकार का क्या कमिटमेंट है। उसका नीतीया मह हूँ कि एक मास्टर प्लान बनाने की बात की गई। वह मास्टर प्लान भी कैसे बना जिसके कि साथ जोनल प्लान बनना जरूरी है, वह मास्टर प्लान कब बनता है जरा आप गौर करें। यह ऐश्वोरेंस है सन् 1951 का। मास्टर प्लान बनना शुरू होता है 1960 से और खत्म होता है 1962 में और गजब यह है कि उस ऐश्वोरेंस को उनके पास नहीं भेजा जाता, मास्टर प्लान बनाने के वालों के पास नहीं भेजा जाता, जिससे कि उनको मालूम हो सके कि सरकार का भी कोई कमिटमेंट है। वहां पर क्या होता है? मास्टर प्लान बनता है, जब उनसे कहा जाता है कि आप अपने मकानात हटाइये, अब वह मकान उन्होंने किस जगह पर बनाये हैं मैं आपकी इतिला के लिए भ्रज करता हूँ कि उसे ऐश्वोरेंस कमेटी वाले मैम्बरस लोग मौके पर उन्हें देखने के लिए गये थे तो दरभसल जहां उन के मकान बने हुए थे यह वह जगह थी जहां कि हमारे उन रेफ्यूजी भाईयों के घाने से पहले जंगल था, बियाबान था और वहां रात को नहीं दिन को भी घादमियों का चलना मुश्किल था। पहले वह जमीन बिलकुल उबड़खाबड़ थी जिसे कि हमारे उन रेफ्यूजी भाईयों ने धाकर बनाया। उन्होंने धाकर उस जगह को बनाया। उन्होंने धाकर उस जमीन को डेवलप किया। उन्होंने धाकर अपनी मेहनत से घर के जेवर बेच कर, दूसरा सामान बेच कर और कर्जा लेकर, सरकार से कुछ मदद लेकर उस जगह को बनाया। उन लोगों से टेक्सस वसूल किये गये लेकिन इस के बाद उनको धार्डर होना है कि आप चले जाइये, यहां से धाप हट जाइये। क्यों नहीं आपको हटाया जाय? जनाबवाला, यह कितनी नाइंसाफी की बात है? हम तो यह समझते हैं कि हमारे पार्लियामेंटरी सिस्टम में ऐश्वोरेंस बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे एक्जीक्युटिव पर लेजिस्लेचर की सुपरि-

मेसी जाहिर होती है लेकिन यहां पर ऐश्वोरेंस को बिलकुल नीचे गिरा दिया गया। उनसे कहा गया कि आप अपनी जगह छोड़ दीजिये। उन के सामने कोई धीर चाराकार नहीं था। उन्होंने आप के दरवाजे को, लोक सभा के दरवाजे को खटखटाया। आप से इंसाफ मांगा। हमने इस मामले पर गौर किया, मौके पर जाकर देखा। मैं यह भ्रज करूंगा कि इसमें जो तीन चीजें रखी गई थीं, पहली चीज गाडगिल ऐश्वोरेंस की, उसको भुलाया गया, दूसरी चीज जो रखी गई वह मास्टर प्लान की है तो मैं बतलाता हूँ कि उस वक्त कोई मास्टर प्लान ही नहीं था। उस वक्त कोई प्लान नहीं एजिस्ट करता था। तीसरी चीज यह है कि जो आलटरनेटिव जगह बतलाई गई, आपको सुन कर हैरत हो जायगी कि आलटरनेटिव एकोमोडेशन क्या धीर कहां धीर की गई। वह धीर की गई पंखा रोड, वजीरपुर और भिलमिल ऐरिया में जहां पर कि धुग्गी भोंपड़ी वालों को जो कि टोटल अनएथोराइज्ड यहां पर कब्जा करते हैं धीर वहां सरकार उन को ले जाकर जगह देती है। उनके लिए कोई ऐश्वोरेंस नहीं है धीर सरकार उनको वहां धुग्गी, भोंपड़ी स्कीम में जगह देती है। मैं आपके जार् ए श्री जगन्नाथ राव से मात्रुम करना चाहता हूँ कि क्या यह गाडगिल ऐश्वोरेंस धीर धुग्गी भोंपड़ी स्कीम एक केस हो गया? क्या उनको भी वही जगह दी जायेगी धीर क्या उनके लिए भी वही बर्ताव होगा जो कि धुग्गी भोंपड़ी वालों के साथ होता है? क्या गाडगिल ऐश्वोरेंस की कोई वकअत नहीं की जायेगी? क्या धाज गाडगिल साहब मिनिस्टर नहीं रहे तो उनके ऐश्वोरेंस की कोई कीमत नहीं है? इस पर सरकार को गौर करना होगा। मैं यह भ्रज करूंगा कि हमने मौके पर जाकर देखा तो बतलाया गया कि सड़क चौड़ी करनी है। हम को मिले सरकार सिंह कक्कड़, हमको मिले गुजराल साहब धीर हमको धीर बहुत से मिले। जनके कि संकड़ों तावाद में मकानात हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप सड़क

[श्री इसहाक सम्मली]

चौड़ी करना चाहते हैं तो हम अपने मकानों में से जगह देने के लिए तैयार हैं लेकिन हमको उजाड़िये नहीं। इस लिए जाहिर बात है कि भालटरनेटिव एकोनोमिशन जो कि उनके कारोबार के प्लांट भ्रौफ व्यू से भी मुनासिब हो वह तो कहीं मयस्सर भी नहीं सकी। हमारी सरकार को उस वक्त का नहीं खयाल है जब कि उन्होंने यहां आकर जंगल को आबाद किया था। आज जब वह लैंड डेवलपड हों गया तो हमारे भ्रफसरों के मुंह में पानी आता है और सरकार के भी मुंह में पानी आता है। अब अगर वह लैंड डेवलपड हो गया, आबाद हो गया तो क्या कसूर हुआ ? यह भी ठीक है कि आज उसके आसपास की जमीन की कीमत हो गयी है लेकिन यह मत भूलिये कि रेफ्यूजी माइग्रों ने अपनी मेहनत से अपनी कोशिशों से उस जगह को डेवलप किया है। इसमें पार्टी का सबाल नहीं। उस कमेटी में कांग्रेस की मजोरिटी है। हम लोग भी उसमें हैं। वाजपेयी जी उसके चेयरमैन हैं। हमने वहां पर इस चीज को रखा बिना पार्टी का कोई विचार किये हुए। हमने इंसानी नुक्तेनजर से इसको देखा, हमदर्दी के साथ इस पर गौर किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इन डिस्प्लेस्ट परसंज के साथ नाइसाफी हुई है और इस लिए हमको मजबूर हो कर यह रिपोर्ट देनी पड़ी कि गाडगिल एश्योरेस का इम्प्लेमेंटेशन नहीं हुआ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको उजाड़ा न जाए, इंसानी नुक्ते नजर से इस केस को देखा जाए। एक दो घर उजड़ने वाले नहीं हैं। सिकड़ों घर उजड़ जाएंगे, फैमिलीज की फैमिलीज उजड़ जायेंगी। उस वक्त जो मकान उन्होंने पांच हजार रुपये लगा कर बनाया था आज वह चालीस हजार में बंया। क्या सरकार इतना कम्पेंसेशन दे सकती है। कितना भी कम्पेंसेशन सरकार दे लेकिन उसके बिजिनैस को भी देखे। बिजिनैस प्वाइंट आफ व्यू से, मजदूरी के प्वाइंट आफ व्यू से क्या

उनको बैसा एरिया मुयस्सर हो सकता है ? सबसे बड़ कर यह बात है कि उनको कोई भी जगह भ्राप दें, उनके लिए कुछ भी भ्राप करें, क्या गाडामल एश्योरेस का इस तरह से इम्प्लेमेंटेशन हो सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनको एक्विट न किया जाए, उनको हटाया न जाए और उनकी बििल्डिग को रेगुलराइज किया जाए। वे वहां के डिबेलेपमेंट के लिए कोओप्रेंट करने के लिए तैयार हैं, जगह भी देने के लिए तैयार हैं, सारी फंसिलिटीज देने के लिए तैयार हैं। जब हमने माजूम किया कि दिक्कत क्या है तो पता चला आपके भ्रफसरों से कि सड़कों के लिए उस जगह की जरूरत नहीं है, एक ग्रीन बेल्ट हमको तैयार करनी है, उसके लिए जरूरत है। क्या मजाक किया जा रहा है उनके साथ। मैं चाहता हूँ कि इंसानी नुक्तेनजर से इस समस्या पर गौर किया जाए, इसको प्रंस्टीज का इशू न बनाया जाए, इन बििल्डिग को रेगुलराइज किया जाए, उनसे वह पैसा लिया जो कि चन्दा कमेटी ने सर्जैस्ट किया था और उनको उजाड़ा ज जाए। जो भ्रापकी स्कीम है, उसमें भ्राप देखें कि खर्चा कितना होगा। भ्रापका इन बििल्डिग को डिमालिश करने में खर्चा होगा, न्यू कंस्ट्रक्शन पर खर्चा होगा रिहोबिलिटेशन के लिए जो पैसा उनको दिया जायेगा, उसमें खर्चा होगा, जमीन की कीमत भ्रापको नहीं मिलेगी। अगर भ्राप इन बििल्डिग को रेगुलराइज कर दें, गाडगिल एश्योरेस को पूरा कर दें तो भ्रापका डिमालिशन का खर्चा बचेगा, न्यू कंस्ट्रक्शन का खर्चा बचेगा, रिहोबिलिटेशन का खर्चा बचेगा और जमीन की कीमत सरकार को मिलेगी।

इस हाउस से उन्होंने इंसाफ मांगा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हाउस उनको इंसाफ देगा। इस समस्या पर इंसानी नुक्तेनजर से गौर करेगा। एश्योरेस की जो बाज की गई है उसको पीछे न डाल कर उस पर कायम रहा जाय्या और उसको इम्प्लेमेंट किया जायेगा।

श्री जगन्नाथ राव]

the Delhi Municipal Committee provided accommodation to 2,278 refugee shopkeepers. Government also decided to write off approximately Rs. 20 lakhs which was recoverable from such persons by way of damages due to unauthorised squatting on Government land. Thus, the Government have already been taking a generous and humanitarian outlook. Therefore, there was no hardship caused. Unfortunately, some persons were left over. Their problem had to be solved.

The Chanda Committee went into the question in 1960 and gave a report. According to this report, those persons who were left over and who were in unauthorised occupation of Government land should be given land ranging between 80 and 200 square yards, depending upon the financial capacity of the eligible squatters and displaced persons and the size of the family. This recommendation of the Chanda Committee has been endorsed by the Committee on Government Assurances (Fourth Lok Sabha) in paras 51 and 54 of their report.

This recommendation would be implemented. I agree that these unauthorised persons should not be equated to the jhuggi-jhopri dwellers and 25 square yards would not be proper. That is why 80 to 200 square yards, as recommended by the Chanda Committee, will be given. This is being processed.

श्री ज्योतिर्मोय बासु (Diamond Harbour) : How soon will it be given ?

श्री जगन्नाथ राव : As early as possible. I cannot fix a deadline, because the Master Plan was adopted in September 1952 and I cannot allot any land for use which is not in accordance with the Master Plan. Objections should have been raised

at the proper time. When objections were not raised or having been raised were not accepted by the DDA, it is difficult for me to go against the Master Plan.

श्री अटल बेहारी वाजपय्ये : The Gadgil Assurances were given long before the Master Plan was formulated. Why did you not take into consideration the Gadgil Assurances while drawing up the Master Plan ?

श्री जगन्नाथ राव : The Master Plan came in 1952. They should have raised the objection at that time. If they did not raise any objection or if the objections were raised and over-ruled, I cannot do anything. Taking all this into consideration, we are trying to do whatever is possible. There are five unauthorised persons who have built houses in Pcorvi Marg i. e. Ganga Ram Hospital Road. They have not vacated. They have been given alternative land, but they do not want to demolish the houses. They went to court and still they are in unauthorised occupation. We are anxious to settle the left-over cases. There is no intention to bypass the assurances. The assurances given by Government are being respected and will be respected.

There is one recommendation in para 60 of the report that the left-over problem should be given to the Rehabilitation Department. We had a meeting with that department, but they are not willing to take it over, because they are winding up their department. Therefore, this problem will have to be dealt with by this ministry and this will be dealt with as early as possible.

श्री इसहाक सम्भली : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त मास्टर प्लान तैयार हो रहा था, तो क्या उस वक्त मिनिस्ट्री ने

मास्टर प्लान तैयार करने वाले अफसरान बर्गर रह को अपने कमिटमेंट्स और एशोरेंसिज भेजे या नहीं; अगर नहीं भेजे, तो क्यों नहीं।

شری اسحاق سمجھلی: میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ماسٹر پلان تیار ہو رہا تھا، تو کیا اس وقت منسٹری نے ماسٹر پلان تیار کر لیے والے افسران وغیرہ کو ایسے کمیٹینٹس اور ایسورنس بھیجے یا نہیں بھیجے تو کیوں نہیں

SHRI JAGANATH RAO : I am not in a position to say anything. In 1962 I was not in charge.

श्री इसहाक सम्भली : स्पीकर साहब, यह तो कोई जवाब नहीं है।

شری اسحاق سمجھلی: سپیکر صاحب یہ تو کوئی جواب نہیں ہے

MR. SPEAKER : Assurances given by Government continue, whichever Government may come to office. Government may change, but assurance continue.

SHRI S. M. BANERJEE : (Kanpur) Mr. Mehr Chand Khanna did not fulfil the assurances given and that is why he lost.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : Even the recommendations of the Chanda Committee have not been implemented so far,

SHRI JAGANATH RAO : That is the left-over problem, which was referred to by the hon. Member.

श्री प्रकाशबीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मिनिस्टर 1962 में मिनिस्टर नहीं था, जो डिपार्टमेंट तो उस समय भी था। इस लिए यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि यह उस समय मिनिस्टर नहीं थे।

SHRI JAGANATH RAO : I only said that I am not now in a position to say anything about it.

18:40 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA—
Contd.

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha :—

- (i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No. 5 Bill, 1968, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th December, 1968, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
- (ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No. 6 Bill, 1968, which was passed by the Lok